

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट खिनानियां)

1. इन्द्राज पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र पतराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. विद्यादेवी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
3. मदनलाल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
4. दुना पुत्री मेहरचन्द पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील नोहर।
-प्रतिवादीनाम

मुकदमा नम्बर:-251/2018
अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए
निर्णय दिनांक:-29.6.2018

वादी की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीनाम की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 मेहरचन्द के नाम से चक नं. 22 के एनएन के खाता संख्या 83 में अंकित कुल 4.301 है. में से 1/3 हिस्सा वादी को व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 मदनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत रखे जाने के आदेश के दिये जाते है व वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से उक्तानुसार राजस्व अमिलेख में अंकन किय जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अमना अमना वहन करने। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 29.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत खिनानियां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस		0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील		0		0
जोड़		1000/-	जोड़	0